पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु उन्होंने बहस नहीं । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से हमने प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया ।

अपीलान्ट ने अपील मीमो में कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण पक्षकारान के मध्य विभाजन से सम्बन्धित है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट ने उक्त प्राथमिक डिक्री के निर्णय को गलत एवं त्रुटिपूर्ण होना कथन करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पक्षकारान का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन अनुसार पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में जो कथन किये हैं वह स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से गुणावगुण पर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.04.2008 बहाल रखा जाता है ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा